

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज संगीता सिंघवी, एडवोकेट, मूठों का बास, सोजतसिटी, जिला पाली (राज.)</p> <p>बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत प्रथम सूचना अपील संख्या :- 54/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/82 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>12.06.2024</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष उपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 08.11.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है । अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने जरिये पत्रांक /सू.अधि./2024/1311 दिनांक 12.06.2024 को इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1208 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति/प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर आपत्ति जाहिर की। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण करे। निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	